May 2018

टाइम्स ऑफ बायोडॉयवर्सिटी

जैवविविधता एवं पर्यावरण पर मासिक पत्रिका
Year - 3, Volume - 11, May 2018

Times of Bio diversity

Monthly Magazine on Biodiversity & Environment

RNI No. MPBIL/2015/67811 ISSN No. 2456-6918 Price : 90/-

Subscriber Copy

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 22 मई 2018

25 वर्ष

जैवविविधता क्रियाशीलता

डाक पंजीयन संख्या : म.प्र./भोपाल/4-450/2017-19

Published by : Global Biodiversity Education Society, Bhopal

ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी

की गतिविधियां

Editorial

D. P. Tiwari
Chief Editor
Times of Biodiversity

जैवविविधता क्रियाशीलता के 25 वर्ष

जैवविविधता पर प्रथम बार विश्व स्तर पर 1992 में रियो सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ एवं विश्व के 152 देश जैवविविधता संरक्षण संबंधी मुद्दो पर एकमत हुए एवं तीन महत्वपूर्ण बिन्दु जैवविविधता संरक्षण, संवहनीय उपयोग एवं जैवविविधता के उपयोग से उद्भूत लाभो का साम्यपूर्ण विभाजन पर एक साथ कार्य करने हेतु रणनीति विकसित की। वर्तमान में 196 देश जैवविविधता संरक्षण पर विभिन्न कार्य कलाप संचालित कर रहे हैं। जैवविविधता संबंधी गतिविधियों को समझने एवं जागरूकता लाने हेतु प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस मनाये जाने हेतु वर्ष 2018 की थीम ''जैवविविधता कार्यकलाप के 25 वर्ष'' निर्धारित की गई है।

प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रथम रियो सम्मेलन में प्रदेश का प्रतिनिधित्व माननीय श्री कमलनाथ जी तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री भारत शासन द्वारा किया गया था। तभी से प्रदेश जैवविविधता संबंधी क्रियाकलापो में अग्रणी बना हुआ है। 190 देशो के साथ साथ प्रदेश का भी जैवविविधता संबंधी रणनीति एवं एक्शन प्लान बना हैं। उसी रणनीति के अनुसार प्रदेश जैवविविधता संबंधी क्रियाकलापो में पूरे देश में अग्रणी होने की ओर अग्रसर है।

प्रदेश में राजनैतिक समझ का उपयोग वृक्षारोपण, नदी संरक्षण, जल संरक्षण एवं वन संरक्षण में सफलता पूर्वक किया जा रहा है। जैवविविधता के पारिस्थितकीय तंत्र की सेवाओं स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल एवं स्वच्छ भोजन में भी राजनैतिक जागरूकता एवं समझ में आने की अत्यंत आवश्यकता है।

25 वर्षो की सतत् मेहनत को परिणाम मूलक बनाने में छात्र–छात्रायें, आम नागरिक, राजनेता, संबंधित विभागो के कर्मचारी अधिकारी एवं मीडिया के सक्रिय होने एवं समन्वय एवं सहयोग से जैवविविधता संरक्षण में जुट जाने का अवहान है।

Index

5 संकटग्रस्त भविष्य

10 प्याज फसल भावांतर योजना में शामिल

15 प्राणवायु, योग शिक्षा एवं नैतिक मूल्य

19 संरक्षित क्षेत्रों में सफल ग्राम विस्थापन

22 Migratory Bird Day

23 Endangered Species

24 International Biological Diversity Day

26 अकोल

28 बैरागढ़ का उत्पाती बंदर

32 Story of Debacle in Sariska

36 Cotton Variety

39 Jamunapari Goat

Patron
V. R. Khare

Editor-in-Chief
D. P. Tiwari

Executive Editor
V. S. Pandey
Onkar Singh Rana
R. K. Mishra

Advisory Board
Ajit Sonakiya
Vipin Vyas
M. K. Khan
Smt. Sunita Kumar
Madhuri Tiwari

Reporting Team
R. R. Soni
Shashank Shivam Mishra
Raviraj Tomar

Co-Editor
J. P. Shrivastava, Bhopal
M. K. Shrivastava, Bhopal
R. K. Dubey, Lucknow
Kamal Vyas, Jhansi
Dr. Ravindra Abhyankar
Ravi Upadhyay
Mohit Manwani

ICT/Multimedia Editor
Saurabh Bansal
Smt. SharadTrivedi Upadhyay
Dr. Ruchi Kurapa Shroti

Graphic Editor/Cover Design
Raviraj Tomar

For Advertisement
Subscription/Contact
9425029009
Email dwarika30@yahoo.com

Printed By : Flexy Joseth, **Published by :** D. P. Tiwari on behalf owned by Global Biodiversity Education Society, Bhopal (M. P.) and printed at Maruti Enterprises, 12 Kotwali Road, Bhopal (M. P.) **Email** marutienterprises@rediffmail.com and Published at 16-A, Janki Nagar, Near Suyash Hospital Chunabhatti, Kolar Road Bhopal (M. P.) **Mobile No. 9425029009** Email - dwarika30@yahoo.com. **Editor** D. P. Tiwari

संकटग्रस्त भविष्य

अभी नही तो कभी नही

कमलेश कुमार खरे,
उपवन संरक्षक (से.नि.)

ग्लोबल क्लाईमेट रिस्क इन्डेक्स के अनुसार हमारा देश, बदलते पर्यावरण से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शुमार है। गर्मियों में तेज बारिश एवं बेतहाशा गर्मी, बारिश में तेज उमस, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, घटती सर्दियां बढ़ता तापमान आदि चिन्तनीय है।

बढ़ती जनसंख्या आधुनिक जीवन शैली, सड़कों पर वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि स्वार्थ परायणता, शासन की अदूरदर्शी नीतियां, योजनाओं का असफल क्रियान्वयन आदि के कारण पर्यावरणीय परिस्थितियां खतरनाक स्तर तक पहुंच गयी हैं।

इस पृथ्वी पर भौतिक जगत में होने वाली प्रत्येक क्रिया में जल का उपयोग एवं कार्बनडाई ऑक्साइड का उत्सर्जन सुनिश्चित है। पेट्रोलियम उत्पादों के वाहनों में दहन, विकास की अंधाधुंध दौड़ में स्थापित फैक्ट्रियों, एयर कंडीशनरों के बेतहाशा उपयोग आदि के कारण ग्रीन हाउस गैसों में लगातार वृद्धि हो रही है। जमीन के जल का अत्याधिक दोहन जल स्त्रोतों के जलों में लगातार बढ़ता प्रदूषण आदि मानव जीवन के लिये खतरा बनते जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यदि देखा जाये तो प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सर्वाधिक ज्वलंत समस्याओं में से एक है। सम्पूर्ण विश्व वर्तमान में हवाओं के तापमान में वृद्धि, आर्कटिक महासागर में बर्फ की कमी, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, वातावरण के तापमान में वृद्धि, अनियंत्रित वर्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। विगत पृथ्वी सम्मेलन में बने एक मत अनुसार भारत भी वर्ष 2030 तक 280 मीटरिक टन कार्बन डाई आक्साईड के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वचन बद्ध है क्योंकि कार्बन डाई आक्साईड को मानवता का दुश्मन माना गया है। इसके अंतर्गत कार्बन उत्पादों की खपत को कम करना, फिजूलखर्ची रोकना, ऊर्जा, ईधन, कागज, कचड़ा, भोजन, पानी एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में मितव्ययता, पुनर्उपयोग को प्रभावी बनाना, कार्बन अवशोषण प्रणाली बढ़ाना, जलवायु एवं हरीतिमा के संरक्षण आदि उपायों को अपनाने पर जोर दिया जाना है।

वैज्ञानिकों का मत है कि यदि हमारे तापमान में यदि 2 डिग्री की वृद्धि हुयी तो पृथ्वी का एक चौथाई भाग सूख जावेगा। वर्ष 2017 सबसे गर्म वर्ष के रुप में रेखांकित किया जा चुका है। वर्ष 2017 में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित देशों को 320 अरब डॉलर राशि खर्च करना पड़ी है। वर्षा की विकरालता से भारत, बंगलादेश एवं नेपाल में जहां 2017 में 4 करोड़ लोग प्रभावित हुये हैं, वहीं 1200 जानें भी गयी हैं।

पृथ्वी पर जीवन बनाये रखने हेतु तापमान में वृद्धि को कम करना एवं जल की सतत् उपलब्धता बनाये रखना अति आवश्यक है। इस दिशा में सरकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ–साथ प्रत्येक नागरिक को भी अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि सभी नागरिक, संस्थायें, छात्र मिल जुलकर दैनिक जीवन में छोटे–छोटे प्रयास करेंगें तो इस समस्या से निजात पाना असंभव न होगा। आईये हम सभी इन प्रयासों को आज से ही मूर्तरुप में शुरु करें।

जल संरक्षण

- ब्रश, भोविंग, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करते समय नल खुला न छोड़े। मग या बाल्टी का ही प्रयोग करें।
- पम्प से ओवरहेड टैंक में पानी भरते समय टाइमर लगायें, ओवर फ्लो न होने दें।
- सब्जी, चावल धोने वाले जल का उपयोग पौधों में करें।
- नल या पाइप लाईन लीकेज तुरन्त सुधरवायें।
- कार, बाइक धोते समय एवं पौधों में पानी डालते समय नली का प्रयोग न करें।
- आर ओ के वेस्ट वाटर का उपयोग बर्तन धोने अथवा पौधों में डालने में करें।
- बाथरुम का पानी किचन गार्डन में डायवर्ट करें।

ऊर्जा संरक्षण

- उपयोग न होने पर बिजली के स्विच बंद रखें।
- फाइव स्टार रेटिंग उपकरण उपयोग में लायें।
- सीएफएल या एलईडी बल्व ही उपयोग में लायें।
- चौतरफा रोशानी के बजाए स्पॉट लाईट को प्राथमिकता दें।
- सौर उर्जा उपकरणों को प्राथमिकता दें।
- रसोई गैस/ईंधन के उपयोग में मितव्ययता बरतें।
- भोजन बनाते समय मात्रा के अनुरुप माप का बरतन ही उपयोग करें।

परिवहन

- अनावश्यक यात्रा करनें से बचें एवं कम दूरी की यात्रा पैदल करें।
- वाहन भोयरिंग की आदत डालें।
- वाहनों की नियमित जॉच करायें, हवा का सही दाब रखें।
- सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करें।

आदतों में परिवर्तन

- स्थानीय उत्पादों एवं स्थानीय बाजार के उपयोग को प्राथमिकता दें।
- सामाग्री क्रय करने हेतु पॉलीथीन थैली के स्थान पर कपड़े के थैले का प्रयोग करें।
- फुटकर सामाग्री क्रय के स्थान पर मासिक क्रय करें।
- कागज का कम से कम उपयोग करें।
- आवश्यकता से अधिक सामाग्री क्रय ना करें।
- अनावश्यक एवं अनउपयोगी वस्तुओं के पुर्नचक्रीकरण की प्रक्रिया अपनाए।
- वस्तु/उपकरणों की मरम्मत कर पुनः उपयोग को प्राथमिकता दें।
- घर के गमलों को शुद्ध सब्जियों के उत्पादन का स्थल बनाएँ।

शासन की नीति

शासन की नीतियाँ/विभागों का क्रियान्वयन केवल बजट उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तक ही सीमित है, जो कि कदापि भी व्यवहारिक नही है। शासकीय स्तर पर निम्न क्षेत्रों में स्पष्ट नीति, द्रढ़ संकल्प एवं प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है –

- प्रत्येक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में हरियाली क्षेत्रफल/वर्षाजल संचयन क्षेत्रफल निश्चित करना होगा। एअरकण्डीशनर एवं उर्जा खपत को कम करने के लिए ईको फ्रेण्डली एवं ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करना होगा।
- प्रत्येक खाली स्थान को वर्शाकाल में पौधा रोपण से भरने हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे।
- प्रत्येक विद्यालय हरित पौधशाला में परिवर्तित करने होंगे।
- किसानों को कृशि मिश्रित बागवानी अपनानी होगी।
- जल संरक्षण हेतु प्रत्येक भवन में प्रभावी वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित की जानी होगी।
- जल संरचनाओं में मूर्ति विसर्जन, पूजन सामाग्री निस्तारण एवं सीवेज निस्तारण को पूर्णतः प्रतिबन्धित करना होगा।

उपरोक्त उपाए जल संरक्षण एवं वातावरण के तापमान नियन्त्रण में कारगर सिद्ध हो सकते है।

कृषकों की खुशहाली हेतु उद्यानिकी विभाग की पहल

(मुख्यमंत्री भावांतर योजना)

प्याज फसल

अतुल मिश्रा

मध्यप्रदेश में प्याज उत्पादन में लगातार वृद्धि होने से किसानों को उनके प्याज का उचित मूल्य दिलाने तथा प्याज की Stress sale न हो इस हेतु वर्ष 2018–19 के लिये प्याज फसल को मुख्यमंत्री भावांतर योजना में शामिल किया गया है। योजना वर्ष 2018–19 में लागू है। योजना की मुख्य बाते निम्नाानुसार है –

1. भावांतर योजना में किसानों को इस बात के लिए, प्रोत्साहित किया जाता कि वे अपना उत्पादन जब दाम बहुत नीचे हों तब न बेचें और उसे प्याज भंडार गृहों में भंडारित करें।
2. भावांतर लाभ के लिए दो अवधियां मान्य होंगी। प्रथम अवधि 16 मई से 30 जून तक एवं द्वितीय अवधि 01 अगस्त से 31 अगस्त तक होगी। द्वितीय भावांतर अवधि में भावांतर का लाभ प्याज की भंडारित मात्रा के 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।
3. प्याज भावांतर योजना के विभिन्न घटक निम्नानुसार होंगे –

3.1 प्याज का उत्पादन करने वाले सभी किसानों का विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में पंजीयन कराया जायेगा। यह पंजीयन रबी के लिए उपार्जित की जाने वाली फसल गेहूँ अथवा रबी के लिए भावांतर हेतु चिन्हित फसलें यथा चना, सरसों और मसूर के साथ ही होगा जो सहकारी केन्द्रों के माध्यम से होगा।

3.2 पंजीयन का सत्यापन कार्यक्षेत्र के राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

3.3 प्याज का जो भंडार निजी क्षेत्र में हो उन सभी का पंजीयन विभागीय अधिकारियों द्वारा मोबाईल द्वारा मोबाइल ऐप के जरिये किया जायेगा।

3.4 राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में 1 लाख मी.टन क्षमता के प्याज भण्डारण प्रक्षेत्र विकसित किये जायेंगे जहां पर प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध होगी। यह कार्य म.प्र. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (50,000 मी. टन) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ (30,000 मी.टन)

और एम.पी. एग्रो (20,000 मी.टन) द्वारा किया जायेगा। तीनो एजेंसियों को निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु एजेंसियों नाबार्ड से ऋण प्राप्त करेंगी जिसका भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। जब नाबार्ड से ऋण स्वीकृत नहीं होता है, तब तक धनराशि की व्यवस्था संबंधित एजेंसिया करेगी।

3.5 पंजीकृत किसानों को पंजीकृत निजी गोदामों अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा नवसृजित गोदामों में प्याज भण्डारण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और पूरी जानकारी कम्प्यूटराईज तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी। पंजीकृत अथवा शासकीय गोदामों में प्याज भण्डारण का भौतिक सत्यापन उद्यानिकी अथवा म.प्र. स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अमले से आवश्यक रूप से कराई जायेगी।

3.6 भावांतर योजना का लाभ केवल मंडी में हुए संव्यवहारों पर ही होगा। वर्तमान में प्याज विक्रय मंडी अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं होने से मंडी प्रांगण में बेचने की बाध्यता नहीं है। अतः केवल प्याज के लिए मंडी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर भावांतर हेतु चिन्हित मंडियों में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत क्षेत्र में प्याज का विक्रय मंडी प्रागंण के अंदर किया जाना बंधनकारी बनाया जायेगा। मंडी बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्याज की घोष विक्रय नीलामी चिन्हित मंडियों में नियमित रूप से हो। प्याज नश्वर प्रकृति का होने से और मंडी में विक्रय की अनिवार्यता लम्बे समय बाद पुनः लागू करने से प्याज पर लिए जाने वाला मंडी टैक्स 2 प्रतिशत की जगह 1 प्रतिशत ही रह जायेगा।

3.7 16 मई से 30 जून तक दो बार (16 मई से 31 मई और 1 जून से 30 जून) पूरे प्रदेश

की चिन्हित मंडियों के मोडल भाव निकाल कर औसत मोडल भाव का निर्धारण किया जायेगा। इसी प्रकार दो अन्य राज्यों महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश के औसत मोडल भाव उक्त अवधि के निकाले जायेंगे। इन तीनो के साधारण औसत के द्वारा योजनांतर्गत भावांतर भाव निर्धारित किया जायेगा।

3.8 प्याज का राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य वर्ष 2018–19 के लिए रूपये 800/– प्रति क्विंटल होगा।

3.9 किसानों द्वारा शासकीय भंडार गृहों में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्याज भंडारित करने पर उनसे कोई भण्डारण शुल्क नहीं लिया जायेगा। इस अवधि का भण्डारण शुल्क रूपये 200/–प्रति टन प्रति माह की दर से राज्य सरकार द्वारा भण्डारण एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा। किसान को केवल उक्त अवधि के सूखत/सड़न से होने वाली हानि को वहन करना होगा जो अधिकतम 25 प्रतिशत होगी। यदि किसान द्वारा केवल अपने प्याज भण्डारण में या किसी अन्य निजी प्याज भंडार में प्याज भण्डारित किया जाता है तो 31 जुलाई को भंडारित मात्रा के लिए उपरोक्त निर्धारित भण्डारण दर से चार माह का भण्डारण शुल्क उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

3.10 द्वितीय भावांतर अवधि 01 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान यदि पंजीकृत किसान द्वारा पंजीकृत भंडारित मात्रा का विक्रय किया जाता है तो इस विक्रित मात्रा के लिए डैच से कम भावांतर भाव होने पर भावांतर की राशि ऐसे किसान को भुगतान की जाएगी। यह विशिष्ट अनुभव रहा है कि चार माह में प्याज की सूखत और सडन के कारण 25 प्रतिशत का नुकसान होता है। अतः द्वितीय भावांतर अवधि में किसान को इतनी मात्रा के लिए भावांतर हेतु लाभ दिया जाएगा जो उसके कुल उत्पादन की सीमा में रखते हुए भण्डारित मात्रा के 75 प्रतिशत तक के बराबर हो।

4. योजना में हितग्राही की अर्हताएं निम्नानुसार होंगी :–

4.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के साथ संबंधित लाभार्थी का भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर वांछित जानकारी के साथ पंजीयन दर्ज होना अनिवार्य है।

4.2 पंजीयन होने वाले किसानों के खाते जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में होने पर उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

4.3 प्याज प्रदेश में ही उत्पादित होना आवश्यक है।

4.4 योजना का लाभ अधिसूचित मण्डी परिसर में विक्रय पर ही देय होगा।

4.5 योजना का लाभ 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की सीमा तक ही देय होगा।

4.6 राज्य शासन के द्वारा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों की अधिसूचित किया जायेगा एवं इसकी जानकारी सर्वसाधारण को प्रदान की जायेगी। आदिवासी बाहुल्य जिलों में मण्डी नियमन लागू कराकर जिला कलेक्टर हाट बाजारों तथा अक्रियाशील उपमण्डियो को क्रियाशील कर योजना हेतु अधिसूचित किये जाने हेतु अधिकृत होंगे।

4.7 निर्धारित कृषि उपज मण्डी समिति के प्रांगण में मण्डी समिति के द्वारा उप विधियों के प्रावधान के अनुसार विधिवत संपन्न कराया जावेगा।

4.8 कृषक को भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराने पर प्राप्त पंजीयन क्रमांक की पर्ची तथा आधार कार्ड की प्रति मण्डी समिति में विक्रय के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4.9 अधिसूचित प्रांगणो में विक्रय की कार्यवाही CCTV कैमरे में दर्ज की जावेगी। जहॉ CCTV कैमरे नहीं होंगे वहॉ मण्डी समिति द्वारा विक्रय के समय उपस्थित किसान का फसल के साथ फोटो लिया जावेगा तथा इसे मण्डी समिति में सुरक्षित रखा जावेगा।

4.10 कृषि उपज मण्डी समिति के नामांकित कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा नीलामी/विक्रय उपरान्त जारी किये जाने वाले अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक में किसान का पंजीयन क्रमांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावेगा। मण्डी समिति उक्त अभिलेखों की मूल प्रतिलिपि पर किसान पंजीयन क्रमांक उल्लेखित कर सुरक्षित रखेगी।

4.11 मंडी सचिव द्वारा प्रत्येक दिवस मण्डी प्रांगण में सम्पन्न नीलामी का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्याज के विक्रय की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी केन्द्र शासन के agmarknet (एगमार्कनेट) पोर्टल पर सायंकाल 6 बजे तक अपलोड की जावेगी।

4.12 कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा दैनिक जानकारी का संग्रहण कर पंजीयन के

भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कॉलम में अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक की संबंधित जानकारी किसान के पंजीयन अनुसार सत्यापन पर अपलोड कराने का कार्य सुनिश्चित किया जावेगा।

4.13 सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय की गई प्याज योजना में मान्य नहीं होगी।

4.14 आदिवासी बाहुल्य जिलों में पंजीकृत किसान द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्र के ट्रेक्टर का उपयोग 15 कि.मी. दूरी या उससे अधिक दूरी पर परिवहन किये जाने पर कस्टम हायरिंग केन्द्र की दर पर मण्डी समिति द्वारा परिवहन की राशि का भुगतान किया जावेगा। ऐसे जिलो में जिला प्रशासन द्वारा एकत्रीकरणकर्ता की भूमिका निभाए जाने पर कलेक्टर द्वारा नियत की गई दर पर मण्डी समिति द्वारा परिवहनकर्ता को भुगतान किया जावेगा।

4.15 प्रत्येक अधिसूचित प्रांगण में योजना के पंजीकृत किसान द्वारा प्याज विक्रय पर भावान्तर भुगतान योजना के प्रावधानो के अधीन लाभ प्राप्त होने संबंधी प्रमाणपत्र किसान को उपलब्ध कराया जावेगा।

4.16 योजनांतर्गत किसान अधिसूचित फसल को प्रदेश की किसी भी अधिसूचित मण्डी/उपमण्डी/प्रांगण में विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4.17 भावांतर भुगतान योजना में मासान्त उपरान्त अंकित प्रक्रिया अपनाकर किसान के खाते में अंतरित किए जाने का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सत्यापन उपरान्त किया जावेगा। भावांतर की राशि का भुगतान पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाते में ही किया जावेगा। यदि पंजीयन के समय गलत बैंक खाता क्रमांक दर्ज हुआ हो तो बिना कलेक्टर को आवेदन दिये तथा बिना कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त किए परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

5. प्याज भावांतर योजनांतर्गत देय राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

(क) यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर मे विक्रय की गई प्याज की विक्रय दर राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो ऐसे किसानो को कोई भावान्तर देय नहीं होगा।

(ख) यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर मे विक्रय की गई प्याज की विक्रय दर राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित भावांतर दर से अधिक हुई तो राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तथा किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि निर्धारित उत्पादकता तथा किसान की बोनी के आधार पर रकबे के उत्पादन की सीमा तक किसान के खाते में अंतरित की जावेगी।

(ग) यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर मे विक्रय की गई प्याज की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित भावांतर दर से कम होगी तो राज्य द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तथा राज्य शासन द्वारा भावांतर दर के अंतर की राशि निर्धारित उत्पादकता एक किसान की भूमि के आधार पर रकबे के उत्पादन सीमा तक किसान के खाते में अंतरित की जायेगी।

प्राणवायु, योग शिक्षा एवं नैतिक मूल्य

डॉ. माधवीचन्द्रा
अतिथि व्याख्याता, योग विभाग,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भारत की प्राचीन गुरूकुल परम्परा पर दृष्टिपात करें तो पाएगें कि प्राचीन शिक्षा पद्धति मौखिक और वाचिक अधिक थी, पुस्तकीय कमागुरू का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण था क्योंकि वह शिष्य के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करता था जो सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर सकें और उसे जीवन मूल्यों से भी परिचित कराती थी। उस समय शिक्षा का संबंध आजीविका से ही जुडा हुआ नही था बल्कि शिक्षा, व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को निखारती थी। शिक्षा का अर्थ है सीखना। शिक्षा हमें अनेक स्तरों पर प्राप्त होती हैं मनुष्य की प्रथम शिक्षक मॉ होती है। वह जाने अनजाने में उसें जीवन मूल्यो से परिचित कराती है ये मानव मूल्य उसे विरासत में मिले होते है। मनुष्य के जीवन में द्वितीय शिक्षक की भूमिका निभाता है परिवार। परिवार उसे व्यक्तिवादी स्वभाव को छोड़ना सिखाता है वैयक्तिकता को सामाजिकता में बदलना ही संस्कारित व्यक्ति की पहचान होती हैं मनुष्य का तीसरा शिक्षा समाज होता है। सामाजिक परिवेश मनुष्य का निर्माण करता है। सामाजिक मुल्यों की भूमिका इस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।

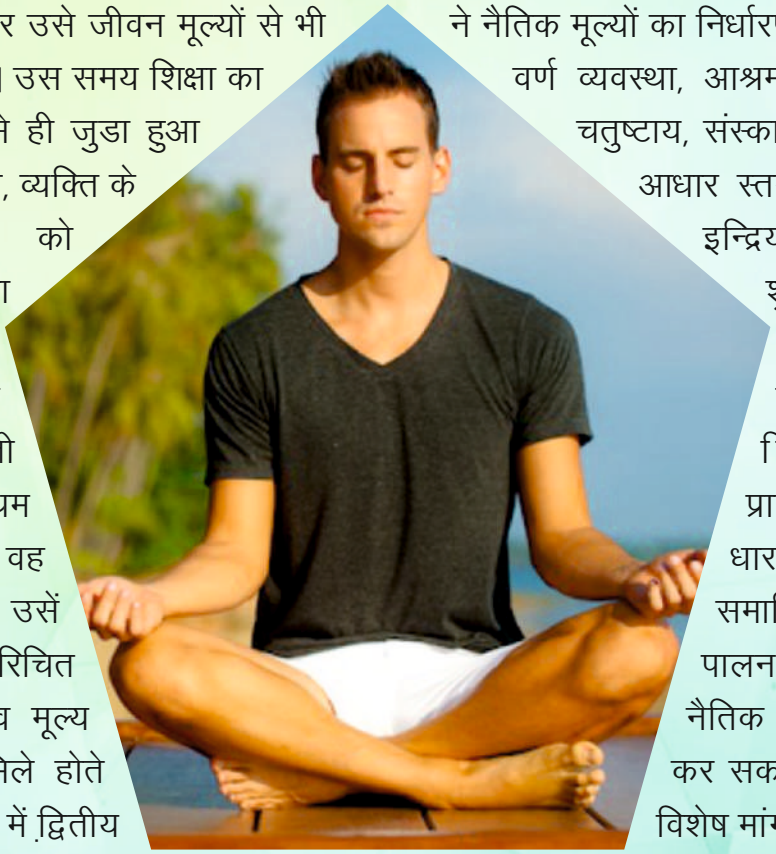

जब से मनुष्य ने होश संभाला तभी से उसका नाता नैतिकता से जुड़ गया है। सारा जीवन नैतिकता से जुड़ा हुआ है। विश्व का कोई भी धर्म दर्शन, चिन्तन इससे पृथक नही है प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों, भारतीय मनीषियों सभी ने नैतिक मूल्यों का निर्धारण किया है। भारत में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरूषार्थ चतुष्टाय, संस्कार सभी नैतिकता के आधार स्तम्भ हैं। योग–शरीर, इन्द्रियॉ और चित्त की शुद्धि के लिये आठ अंगो का वर्णन करता हैं – यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इन अंगों का पालन कर युवा पीढ़ी नैतिक मूल्यों का संरक्षण कर सकती है जो समय की विशेष मांग है।

विषय प्रदेश

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसमें विचार शक्ति है, वह आत्मचेतन है। आत्मबोध और विचार बोध के कारण वह उचित अनुचित का निरन्तर ध्यान रखता है। विचारशीलता के कारण ही मनुष्य आदर्शों की खोज में निरन्तर रहा है, तथा शुभ–अशुभ, औचित्य–अनौचित्य,

सत्य–असत्य, कर्तव्य–अकर्तव्य पर विचार करता हैं मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य परम शुभ पर आश्रित है। मनुष्य अपने परम सुख के परिप्रेक्ष्य में ही जीवन के आदर्शों की विवेचना करता है तथा उसी के अनुकूल आचरण तथा व्यवहार भी करता है। रोजमर्रा के जीवन में हम प्रायः लोगों से यह कहते हुये सुनते हैं कि ''सत्य बोलना चाहिए'' ''दुखियों की मदद करना चाहिए'' ''बड़ों का सम्मान करना चाहिए'' इत्यादि। इनका निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में आचरण की सभ्यता का पूरा पालन होना चाहिए। नैतिक–मूल्य ही व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाते है, जिससे मानवीय आचरण नियंत्रित होता है।

यह सांध्य का ही सिांध्य का ही क्रियात्मक रूप है, यह निर्विवाद सार्वभौम धर्म है। इसीलिए सभी श्रुतियों स्मृतियों ने योग की महिमा का गुणगान किया है। योग का महत्व दर्शन शास्त्रों में तो है ही किन्तु इसका मनुष्य जीवन से घनिष्ट संबंध है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य है– धर्म, अर्थ, काम मोक्ष।। जो पुरूषार्थ–चतुष्टय कहलाते है । इनकी प्राप्ति के लिए शरीर और इन्द्रियों की तथा चित्त की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। चित्त को स्थिर करना कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल कार्य है। पातंलयोग दर्शन की शुरूआत अर्थ योगानुशासनम् से की गयी है। चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा गया है–

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः

इस प्रकार योग के समान व्यापक शास्त्र दूसरा नही है, यह शास्त्र ऋषियों के अनुभूत तत्वों के फल को जानने का साधन है। भिन्न–भिन्न ऋषियों ने समाधि में भिन्न–भिन्न प्रकार से तत्वों का अनुभव किया और अपने अनुभवों को जिज्ञासाओं के कल्याण के लिए लिखा। योगदर्शन में पतंजलि का 'योगसूत्र' प्रमुख ग्रंथ हैं, इसमें चार पाद हैं–समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद। इस पर व्यास का 'भाष्य' है। प्रथम पाद में वृत्तियों के पॉच भेद प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति तथा उनके लक्षण बताए गए हैं। साधनापाद में अविद्यादि पॉच क्लेशों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है।

तीसरे विभूतिपाद मे धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का एकत्रित नाम 'संयम' की चर्चा की गयी है। जो जीवन का महत्वपूर्ण आधार तथा नैतिक मूल्य का वाहक है। कैवल्सपाद में चित्त के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, तथा कैवल्य की चर्चा है, इस प्रकार संक्षिप्त शब्दों में आत्मकल्याण के उपाय बताए गए हैं। योग दर्शन में आठ अंगों का वर्णन मिलता है– यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

1. यम – यह पॉच प्रकार का संयम है– अहिंसा अर्थात् मन, वचन, कर्म से सत्य का पालन करना, अस्तेय अर्थात् मन, वचन और कम से किसी अन्य की वस्तु का अपहरण न करना, ब्रम्हाचर्य अर्थात् मन, वचन कर्म से यौन–संयम करना, और अपरिग्रह अर्थात् मन, वचन, कर्म, से विषय भोगार्थ पदार्थो का संयम करना।

2. नियम – ये सभी पॉच प्रकार के हैं– शौच अर्थात् शरीर चित्त के मलों की शुद्धि,सन्तोष अर्थात् आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के संग्रह की इच्छा न करना, तप अर्थात् भुखप्यास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुःखादि द्वन्द्वों को सहन करना, स्वाध्याय अर्थात् मोक्षशास्त्रों का अध्ययन और मन्त्र–जाप और ईश्वर का ध्यान एवं स्मरण।

3. आसन – यह शरीर का संयम है। ध्याान के लिए वही आसन उत्तम है, जिसे शरीर को सुख और चित्त की स्थिरता बनी रहे ।

4. प्राणायाम – यह प्राणवायु का, श्वास–प्रश्वास का संयम है। पूरक, कुम्भक, रेचक इसके प्रकार हैं।

5. प्रत्याहार – यह इन्द्रियों का संयम है। इन्द्रियॉ स्वभाव से ही विषयोन्मुख होती हैं। बाह्मविषयों की ओर प्रवृत्त होना उसका स्वभाव है। उनकी बहिर्मुखवृत्ति को अर्न्तमुख बनाना, उन्हें बाहा विषयों से हटाकर भीतर मन के वश मे रखना, पत्याहार कहलाता है। ये पॉच अंग योग के बहिरंग साधान है शेष तीन अंग योग के अन्तरंग साधन माने गए है।

6. धारणा – किसी देश में जैसे नासाग्र में, भूमध्य में, हृलमल में या किसी बाहा वस्तु में जैसे इष्टदेवता की मूर्ति आदि में चित्त को लगाना 'धारणा' हैं।

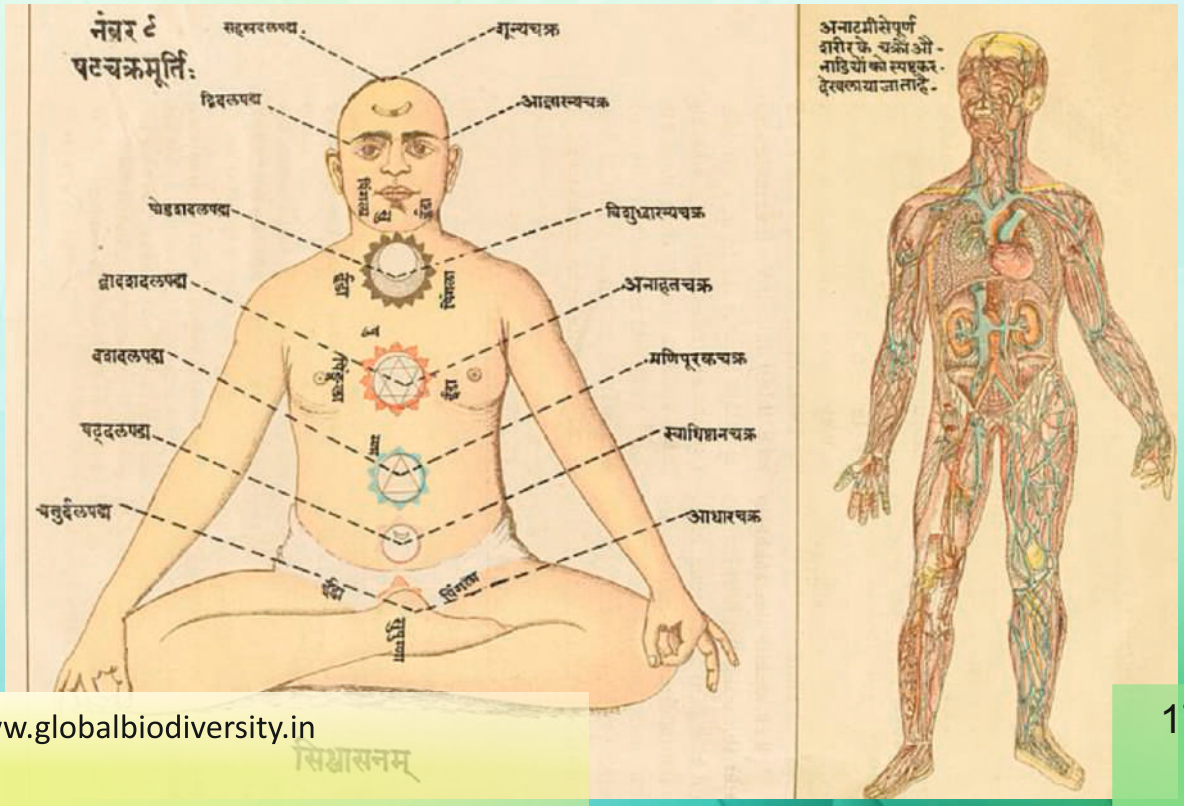

'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा

7. ध्यान – ध्येय वस्तुविषयक चित्तवृत्तियां जब निरन्तर एकाकार रूप से प्रवाहित हों तब इसे ध्यान कहते हैं

'तत्रप्रत्ययैकतानता ध्यानम्।

8. समाधि – समाधि का अर्थ है ध्येय वस्तु में चित्त की विक्षेपरहित एकाग्रता। समाधि में ध्यान ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है। ध्यान और ध्येय की एकता होने पर ध्याता भी ध्येयाकार हो जाता है । समाधि में ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी मे ध्येय ही शेष रह जाता है।

'तदैवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः।'

और तीनों को एक साथ 'संयम' कहते हैं–

'त्रयमेकत्र संयमः'

और संयम पर विजय पा लेना ही बुद्धि का प्रकाश होता है।

उपसंहार

इस प्रकार योग–दर्शन में अष्टमार्ग विशेषकर यम और नियम नैतिक साधना पर बल देते हैं, जो योगाभ्यास के लिए आवश्यक है। रोजमर्रा के जीवन में भी इन नियमों का पालन कर व्यक्ति नैतिक–मूल्यों को बचा सकता है, उसका परिवर्धन कर सकता हैं प्रत्येक प्राणियों के प्रति प्रेम–भाव, मैत्री का भाव, सहानुभूति, प्रसन्नचित्तता, तथा मानसिक विकार शून्यता का भाव उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार योग–दर्शन में नैतिक मूल्य का अक्षयकोश भरा हुआ है। जो मनुष्य के मनुष्यत्व को बनाए रखने में सहायक है।

संरक्षित क्षेत्रों में सफल
ग्राम विस्थापन
जैव-विविधता बढ़ी और जुड़े
आदिवासी विकास की मुख्य धारा से

सुनीता दुबे
जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों के विस्थापन की कार्यवाही के लिए वर्ष 2011 से बहुत प्रभावशाली और कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इससे वन्य–प्राणियों के वास स्थल में वृद्धि होने के साथ आदिवासी भी विकास की मुख्य–धारा से जुड़े हैं। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व क्षेत्रों, विशेष तौर से क्रिटिकल टाइगर हेबीटेट (CTH) से सम्पूर्ण गाँवों को विस्थापित करने का प्रयास किया गया है।

इन सभी कार्यों, नीतियों को मैदानी स्तर पर सही रूप में लागू करने के लिये राज्य शासन द्वारा अलग से विस्थापन बजट बनाकर 118359.68 लाख रूपए व्यय किए जा चुके हैं। कैम्पा मद से विस्थापन के लिए माँग के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जा रही है। लगभग 150 करोड़ रूपए की राशि विस्थापन और विस्थापन के बाद आवास स्थलों का विकास करने के लिए उपलब्ध कराई जा चुकी है।

वर्ष 2011 से लेकर जुलाई 2017 की अवधि में कान्हा टाइगर रिजर्व के (CTH) समस्त गाँवों का विस्थापन किया जा चुका है। अब इस रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हेबीटेट क्षेत्र में कोई भी गाँव नहीं है। रिजर्व के बालाघाट क्षेत्र के बड़े गाँव जैसे झोलर, अजानपुर, सुकड़ी, लिंगा, जामी विस्थापित हो चुके हैं। इस लाभ यह हुआ कि यहाँ इस क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण वन्य–प्राणी बारासिंघा अपने आप आकर डेरा जमा चुके हैं। निकट भविष्य में इस रिजर्व में लगभग एक हजार से भी अधिक बारासिंघा हो जायेगें। कान्हा टाइगर रिजर्व के फेन अभयारण्य से एकमात्र गाँव साजालगान का भी सफल विस्थापन किया जा चुका है। विस्थापित ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार को देखते हुए रिजर्व के बफर जोन में स्थित अन्य ग्राम भी विस्थापन के लिए प्रयासरत हैं।

विस्थापन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सफलता सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्राप्त हुई है।

यहाँ पर वर्ष 2004 में धांई वनग्राम के विस्थापन के बाद वर्ष 2011 से लगातार गाँवों का विस्थापन हो रहा है। जुलाई 2017 तक 42 गाँवों का सफल विस्थापन हो चुका है। यहाँ कुल 4100 यूनिट विस्थापित हुई हैं। इस रिजर्व में विस्थापित ग्रामीणों की संख्या दस हजार है। रिजर्व में अप्रैल 2011 से जुलाई 2017 तक 39 गाँवों को विस्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्थापन के कार्यों को देखा जा चुका है रिजर्व के अच्छे विस्थापन के लिए एन.टी.सी.ए. द्वारा वर्ष 2011 एवँ 2016 में सर्वश्रेष्ठ विस्थापन का पुरस्कार भी दिया गया है। इस वर्ष जून–जुलाई 2017 में भी माना मालिनी तथा साकई ग्रामों को बरसात के पहले नये स्थलों पर पुनस्थापित किया जा चुका है।

पर्यटन कैबिनेट के सितम्बर 2016 के निर्णय के अनुसार यह तय किया गया है कि ऐसे गाँव, जो घने जंगलों के बीच और मुख्य नगरों एवं मार्गों से दूर स्थित हैं और स्वेच्छा से विस्थापन के लिए तैयार हो, तो उन्हें विस्थापित किया जा सकता है। इस नीति से क्रिटिकल टाइगर हेबीटेट के बाहर कॉरीडोर, बफर तथा अन्य क्षेत्रों में बसे हुए, यहाँ तक कि क्षेत्रीय वन–मण्डलों से भी इच्छुक ग्रामीणों का विस्थापन संभव हो रहा है। इससे वनों को पुनर्जीवन देने और उन्हें जैविक दबाव से पूरी तरह मुक्त रखने में मदद मिलेगी साथ ही जैव विविधता में वृद्धि की

प्रबल संभावना बनेगी। राज्य सरकार दृष्टिपत्र 2018 में सभी संरक्षित क्षेत्रों से भी विस्थापन के लिए संकल्प लिया गया है।

संजय टाइगर रिजर्व में भी 10 गाँवों का सफल विस्थापन पिछले 2 वर्षों में किया जा चुका है। अब वह दिन दूर नहीं है जब इस रिजर्व में विस्थापन से रिक्त स्थलों में जल–स्त्रोत, चारागाह इत्यादि उपलब्ध कराये जाने के कारण रहवास स्थल विकसित हो सकेगा और जंगली हाथी यहाँ आकर निवास भी करने लगेंगे। जहाँ एक ओर इस रिजर्व में बाघ कभी–कभार दिखते थे, आज यहाँ लगभग 10 से अधिक बाघों का विचरण है। कैमरा ट्रेप में हर क्षेत्र में बाघ एवँ वन्य–प्राणी दिख रहे हैं।

नौरादेही अभयारण्य में ग्रामीणों द्वारा सहमति दिए जाने पर विस्थापन का कार्य प्रगति पर है। दो वर्ष में 8 ग्रामों को सफलता से विस्थापित किया जा चुका है। भविष्य में भी विस्थापन की योजना हैं। ग्रामवासी विस्थापन के लिए बहुत लालायित हैं और स्वेच्छा से विस्थापन की माँग कर रहे हैं। केन–बेतवा लिंक परियोजना में बाँधों के बनने से जो जल–भराव पन्ना टाइगर रिजर्व में होगा, उसके फलस्वरूप बाघों के रहवास स्थल में आई कमी को इस अभयारण्य को पन्ना लैण्ड स्केप से जोड़कर पूरा किये जाने की योजना है।

ग्रामीणों की सहमति होने से देवास जिले में विन्ध्या लैण्ड स्केप में स्थित खिवनी अभयारण्य में स्थित एक मात्र गाँव खिवनी को भी मई 2017 में विस्थापित किया जा चुका है। इस विस्थापन से भोपाल शहर के दक्षिण में स्थित रातापानी और भोपाल शहर में पाए जा रहे बाघों को प्रस्तावित ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तक निर्बाध रूप से जाने–आने के लिए विस्तृत कॉरीडोर उपलब्ध होगा। इसके अलावा भोपाल के पास बढ़ती हुई बाघों की संख्या को जंगल में ही रहने और प्राकृतिक रूप से अपनी संख्या बढ़ाने का पूरा अवसर मिलेगा। इसी तारतम्य में रातापानी अभयारण्य के दातखोह ग्राम को भी सफलता से विस्थापित कर दिया गया है।

ओरछा अभयारण्य में स्थित दो गॉव में से एक गाँव लोटना को भी विस्थापित किया जा चुका है। दूसरे गाँव के विस्थापन का कार्य प्रगति पर है। इन विस्थापनों से कई दुर्लभ वन्य–प्राणी प्रजातियॉ और दुर्लभ पौधों की प्रजातियाँ भी सुरक्षित होकर फल–फूल रही हैं।

बालाघाट जिले में भी ग्रामीण विस्थापन के लिए उत्सुक है। उनका विस्थापन भी इस वर्ष कराए जाने की योजना है। सतपुड़ा टाईगर रिजर्व एवं बालाघाट जिले में दुर्लभ एवं लुप्त वन्य प्राणी यूरेशियम ओटर तथा स्मूथ कोटेड ओटर जिसे हिन्दी में ऊदबिलाव के नाम से जाना जाता है, दिखाई पड़ रहे है।

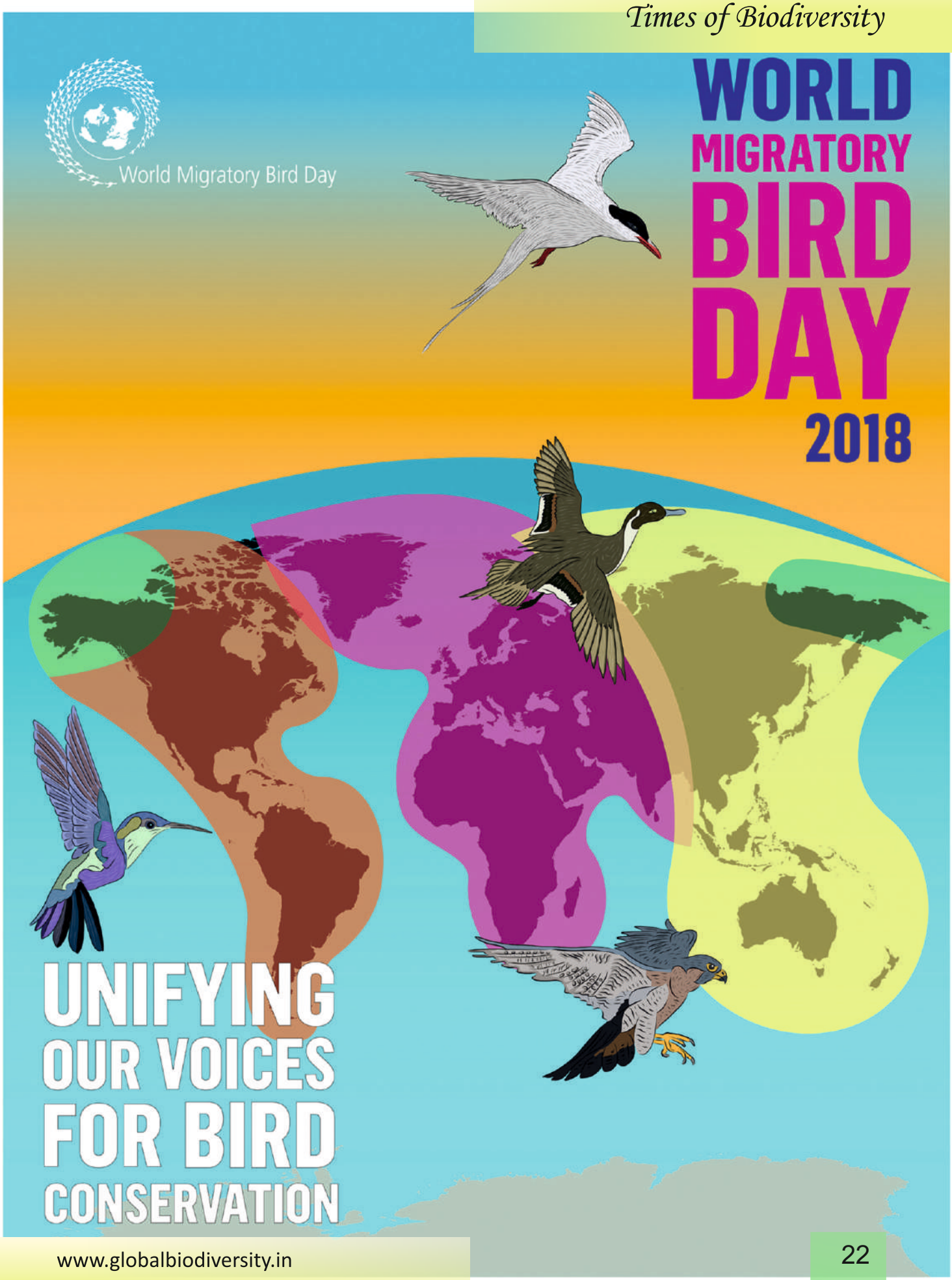
World Migratory Bird Day
WORLD
MIGRATORY
BIRD
DAY
2018
UNIFYING
OUR VOICES
FOR BIRD
CONSERVATION

Endangered
Species
Day 19 May

The Value of Biodiversity

While there is a growing recognition that biological diversity is a global asset of tremendous value to present and future generations, the number of species is being significantly reduced by certain human activities.

The Convention on Biological Diversity is the international legal instrument for "the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources" that has been ratified by 196 nations.

Given the importance of public education and awareness for the implementation of the Convention, the General Assembly proclaimed 22 May, the date of the adoption of its text, as the International Day for Biological Diversity by its resolution 55/201 of 20 December 2000.

Source : CBD

International
Biological Diversity Day
22 May

२५
साल

जैविक विविधता सम्मेलन
पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा

Theme 2018
Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity

Source : CBD

2018 marks the 25th anniversary of the entry into force of the Convention on Biological Diversity. Since entering into force, the Convention has been implemented through the vision and leadership displayed by countries, non-governmental and inter-governmental organizations, indigenous peoples and local communities, the scientific community and individuals alike.

The results are considerable: the development of scientific guidance for the conservation and sustainable use of biodiversity for biomes around the world, the entry into force of the Cartagena Protocol on Biosafety, the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization and the creation and implementation of national biodiversity strategies and action plans.

After adopting the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, Parties have made significant headway in the achievement of a number of its Aichi Biodiversity Targets.

The Strategic Plan is comprised of a shared vision, a mission, strategic goals and 20 ambitious yet achievable targets, the Aichi Targets. The Plan serves as a flexible framework for the establishment of national and regional targets and it promotes the coherent and effective implementation of the three objectives of the Convention on Biological Diversity. The mission of the new plan is to:

Take effective and urgent action to halt the loss of biodiversity in order to ensure that by 2020 ecosystems are resilient and continue to provide essential services, thereby securing the planet's variety of life, and contributing to human well-being, and poverty eradication. To ensure this, pressures on biodiversity are reduced, ecosystems are restored, biological resources are sustainably used and benefits arising out of utilization of genetic resources are shared in a fair and equitable manner; adequate financial resources are provided, capacities are enhanced, biodiversity issues and values mainstreamed, appropriate policies are effectively implemented, and decision-making is based on sound science and the precautionary approach.

महत्वपूर्ण औषधीय पौधे की सामान्य जानकारी

संपादक की कलम से

स्थानीय नाम	–	अकोल
वनस्पतिक नाम	–	*Alangium lamakii Thw.*
प्रकृति	–	पेड़
पौधे की औसत ऊंचाई	–	6 मीटर
प्रजाति	–	*Alangiaceae*
जीवन अवधि	–	बहुवर्षीय

विवरण

अकोल छोटी जाति का पेड़ है, इसका तना लगभग 2 फुट व्यास वाला तथा छाल धूसरित रंग की होती है। पत्तियां 7 से.मी. से 15 से.मी. लम्बी, विभिन्न आकार की होती है। फूल पीलापन लिये हुए सफेद रंग के एवं सुगंधित होते है। फूल पुष्पवाहक दंड पर एक अथवा गुच्छे के रूप में खिलते है। फल बेरी के रूप में होता है, जो पकने पर काला हो जाता है।

पौधे का औषधीय महत्व

क्र.	रोग/बीमारी जिसमें उपयोग किया जाता है	पेड़/पौधे का औषधीय महत्व का भाग	उपयोग का तरीका	उपयोग/खुराक की स्थिति	जानकारी का स्रोत
1	पाईल्स	छाल	छाल को घिसकर छाया जाता है।	दिन में 3 बार	श्यामराव, झितर्रा
2.	सांप के काटने पर	छाल	छाल को घिसकर लगाते है	दिन में 5 बार	मुन्शीलाल, झितर्रा
3	खून के खराब होने पर	जड़	ताजी जड़ो का रस पीने दिया जाता है	दिन में 2 बार	बाबा रघुनन्दन दास, बन्जारी
4	जोडो का दर्द	पत्तियां	पत्तियों को पीसकर जोड़ो पर बांधते है	रात को सोते समय	बाबा रघुनन्दन दास बन्जारी
5	आंख की बीमारी	पत्तियां	पत्तियों को एक बारीक कपड़े में बांधकर उबले चावल के पानी में कुछ देर डुबोया जाता है	तैयार पानी की कुछ बूंदो को जिस आंख में तकलीफ हो उसके दूसरी ओर के कान में डाला जाता है	मोहापात्रा

बैरागढ़ का उत्पाती बंदर

अनुभव सहभाजन

आर. के. दीक्षित
पूर्व उप वन संरक्षक

वन्यप्राणी क्षेत्र में काम करते हुए अनेकों बार अनूठी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो वन्य जीवों और मनुष्यों के अंतरद्वंद को रेखांकित करती हैं। इसमें प्राप्त अनुभव और जानकारी ही इनसे निपटने की राह सुझाती है। वन विहार में मेरी पदस्थिति के दौरान ऐसे अनेक किस्से हैं। प्रस्तुत है उनमें से एक अनुभव।

भोपाल के बैरागढ़ में कहीं से एक लाल मुंह का एक बड़ा नर बंदर आ गया। जो बहुत उत्पाती था। किसी के भी घर में घुस कर तोड़–फोड़ करता था। लोगों को नोच एवं काट लेता था। खासकर बच्चों एवं महिलाओं को तंग करता था। घर में घुस कर बाकायदा पंलग पर लेट जाता था। पंखा और टी.वी. चालू कर आंनद लेता था। उसकी हरकतों से बैरागढ़ वासी त्रस्त हो चुके थे। उन्होंने इकट्टे होकर वन विहार में आकर गुहार लगाई। वन विहार का वन्यप्राणी बचाव दल ऐसे कार्यों के लिए तैयार ही रहता था, उसे सूचना दी गई। वन्यप्राणी बचाव दल दिनांक 18.03.04 की सुबह बैरागढ़ पहुँचा। बचाव दल में डॉ. अनिल शर्मा, सूर्यमणि शुक्ला, चन्द्रभान सिंह चौहान, देवीसिंह एवं दिनेश इरपाचे थे। वन विहार में रहते हुए सूर्यमणि शुक्ला बंदरों के विशेषज्ञ हो गये थे। उन्होंने बंदरों के स्वभाव के बारे में अच्छी महारत हासिल कर ली थी। उत्पाती बंदरों को पकड़ने में तो वे संकट मोचन की तरह थे। अनेक बंदर वे अकेले दम पर ही पकड़ चुके थे। बचाव दल अपने साथ पिंजरा तथा एक पालतू बंदरिया भी लेकर गया था।

बचाव दल सुबह 7.00 बजे बैरागढ़ पहुँचा। बंदर के आने जाने के रास्ते पर पिंजरा लगा दिया गया। जिसमें दो हिस्से थे। एक हिस्से में, पालतू बंदरिया को रख दिया और दूसरे हिस्से में केले बगैरा खाने की सामग्री रख दी। पालतू बंदरिया को देखकर बंदर पिंजरे के पास आ जाता है और

पिंजरे में बंद हो जाता है। सभी स्थानीय निवासियों को कह दिया कि वे अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लें। कोई भी बंदर को खाना न खिलाये। छः–छः व्यक्तियों के तीन समूह बनाकर पिंजरे की ओर आने वाले तीनों रास्तों को घेरना शुरू किया। परन्तु बंदर खूब खदेड़ने पर भी पिंजरे की तरफ नहीं आया। वह बहुत चतुर था। एक महिला ने बताया कि वह उनके छत के कमरे में आया था परन्तु पिछले दरवाजे से भाग गया। उस घर की तरफ से वह उत्पाती बंदर बार–बार निकल रहा था। सूर्यमणि ने उस महिला से कहा कि पिछली तरफ के खिड़की दरवाजे बंद करके बाहर आ जायें और बाहर का दरवाजा खुला रखे। जैसे ही बंदर कमरे में घुसे बाहर से दरवाजा बंद कर दें। उत्पाती बंदर को ललचाने के लिए छत के रास्ते पर उस कमरे तक रोटी के टुकड़े डाल दिये गये। सब लोग दम साधकर उस बंदर का इन्तजार करने लगे। शाम को करीब 5.30 बजे वह उत्पाती बंदर उसी रास्ते से आया और जैसे ही कमरे में घुसा, उस बहादुर महिला ने हिम्मत करके दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दौड़कर सूर्यमणि शुक्ला ने दरवाजे की सांकल को रस्सी से बांध दिया। खुद को कमरे में बंद पाकर बंदर बौखला गया और अंदर से दरवाजा पकड़ कर जोर–जोर से हिलाने लगा। जिससे रस्सी टूट गई; परन्तु सूर्यमणि भी दरवाजा बाहर से पकड़े था। इस वजह से दरवाजा नहीं खुला। तुरंत दूसरी रस्सी बांध दी गई। कुछ देर सबको दूर हटा दिया तो बंदर शांत हो गया।

डॉ0 अनिल शर्मा खिड़की से उसकी हरकतों पर नज़र रख रहे थे। उन्होंने देखा कि बंदर ने पहले पंखे का स्विच ऑन किया और फिर टी.वी. चलाया और फिर पंलग पर लेट कर एक टांग मोड कर उसके ऊपर दूसरी टांग रखकर निश्चिंत भाव से टी.वी. देखने लगा। छत पर होने से बंदर उस कमरे में पहले भी आता रहा था और अभ्यस्त हो गया था। इसी दौरान डॉ. अनिल शर्मा ने बेहोश करने वाला इंजेक्शन तैयार कर लिया था। उन्होंने ''ट्रैक्वैलाइजिंग गन'' (बेहोश करने वाली बंदूक) से खिड़की में से निशाना लेकर पंलग पर लेटे हुए बंदर के पुट्ठे पर ''डार्ट'' (बेहोश करने वाला इंजेक्शन) मारा परन्तु निशाना चूक गया और बेहोशी की दवा बंदर के पुट्ठे के बजाय

पंलग के गद्दे में चली गयी। ये तो अच्छा हुआ कि बंदर टी.वी. देखने में मगन था और टी.वी. की आवाज में ''डार्ट'' की आवाज भी दब गई। बंदर को पता नहीं चला। डॉ. शर्मा ने दूसरी डार्ट भी तैयार कर रखी थी। उन्होंने तुरंत दूसरी डार्ट बंदूक में डालकर फिर से निशाना लिया और डार्ट मारी। इसबार अनुभवी डॉ.शर्मा का निशाना अचूक रहा और डार्ट ठीक बंदर के पुट्ठे में लगी। डार्ट लगते ही बंदर चौंका और उसने पुट्ठे से तुरंत डार्ट को निकाल कर देखा और फेंक दिया। परन्तु तब तक दवा भीतर जा चुकी थी। दवा ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसे बेहोशी छाने लगी और उसकी आँखें बंद होने लगीं। जब वह बेहोश हो गया तब भी उसके भय के कारण कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था।

सूर्यमणि शुक्ला ने खिड़की से एक बाँस घुसाकर बंदर को हिलाया डुलाया और यह विश्वास होने पर कि वह पूरी तरह बेहोश है, दरवाजा खोला। तुरंत एक पिंजरे में उसे कैद कर लिया गया और वन विहार लाया गया। वन विहार लाकर उसे बेहोशी दूर करने या इंजेक्शन दिया गया और वो होश में आया तो हैरानी से इधर–उधर देखने लगा। जब मैंने उसे देखा तो वह पिंजरे में अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखे सिर झुकाये उदास सा बैठा था। जैसे प्रायश्चित कर रहा हो। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने सिर उठाकर मुझे देखा और फिर सिर झुका कर बैठ गया। जैसे अपने किये पर पछताकर माफी मांग रहा हो।

दूसरे दिन बैरागढ़ के निवासी मिठाई लेकर वन विहार आये और उत्पाती बंदर से मुक्ति पाने की खुशी में वन विहार के सभी स्टाफ को मिठाई खिलाई। उनके चेहरों पर निश्चिंतता की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी।

"मैंने खिड़की से देखा पहले वह पंलग पर बैठ गया। फिर गर्मी महसूस करने पर वह उठा और बाकायदा पंखे का बटन दबा कर पंखा चालू किया और आराम से पंलग पर, टांग पे टांग रख कर लेट गया। थोड़ी देर में वह फिर उठा और सामने स्टैण्ड पर रखे टी. वी. को चालू किया और यहां वहां देखने लगा। ऐसा लगा जैसे टी.वी. का रिमोट ढूंढ रहा हो। नहीं मिलने पर फिर पंलग पर आकर लेट गया।

स्थानीय लोगों ने भी काफी दिलचस्प बातें बताईं। ये बंदर महाशय बाकायदा फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक पीते थे तथा अन्य खाने पीने की चीजें खाया करते थे। कहते हैं एक बार तो एक शादी समारोह में जहाँ मेहमानों को ठण्डा पिलाया जा रहा था, वहाँ ये बंदर महाराज पहुँच गये और गिलास में ठण्डा पीकर ही वहाँ से हटे। उसकी हरकतें देखकर मुझे आश्चर्य तो हुआ ही साथ ही इस बात का भी यकीन हुआ कि वाकई बंदर हमारे पूर्वज हैं। उसकी हरकतें आदमी जैसी ही थीं।"

डॉ. अनिल शर्मा, पूर्व वन्यप्राणी चिकित्सक

Story of Debacle In Sariska

Part 1st

Sunayan Sharma, Jaipur (Rajasthan)

In 1991, I took over from Fateh Singh Rathore as Field director of the Sariska Tiger Reserve. I realized that Sarsika was faced with multifarious problems and that the problems were not restricted to mining. There was a heavy flow of vehicular traffic on the two state highways cutting through prime core area. No fewer than 28 villages/*guwadas* with about 10,000 cattle heads were located inside the reserve. The entire reserve was surrounded by about 300 villages. The burden of these villages for firewood and cattle-grazing was alarming and their rapid growth in numbers was posing a serious threat. The famous Pandupole temple located in the heart of the reserve was attracting huge pilgrimage. Another famous temple of Bhratrahariji, located on the eastern side of the reserve also had regular pilgrimage traffic, causing serious disturbance to wildlife and its movement.

Bawaria community had been living on the periphery of the reserve for ages. Traditionally, they are hunter-gatherers. Other than hunting, the only other job they are skilled in is to work as watchmen in agricultural fields. Farmers engage them in their agricultural fields located on the periphery of the reserve in order to guard their crops against wild animals. This gave them a free hand in killing wild animals like chital, sambar, blue bull, wild boar etc. which strayed into the fields.

This also provided them an opportunity to live close to the reserve and hunt animals such as tiger, leopard etc. as and when they learnt of laxity in the security apparatus of the reserve management.

In spite of these problems, the tiger still inhabited almost every corner except for the Talvraksh range where its presence was remarkably low especially in the areas

beyond Raika towards the northern boundary of the reserve.

In the five years of my tenure, several forest guard *chowkies* and patrolling tracks in the interior-most areas were created or developed in order to strengthen patrolling throughout the reserve. Poachers were caught and seizures were made even by raiding their hideouts in Delhi. Cases were registered and legal action was taken. Several village forest protection committees were formed within the reserve and on its periphery. This helped a lot in restricting all kinds of offences especially wood poaching. This also helped in building up trust between reserve personnel and the villagers. It helped me a lot in developing an intelligence network among villagers especially against hardcore poachers. As a result, not a single case of tiger-poaching occurred during this long tenure.

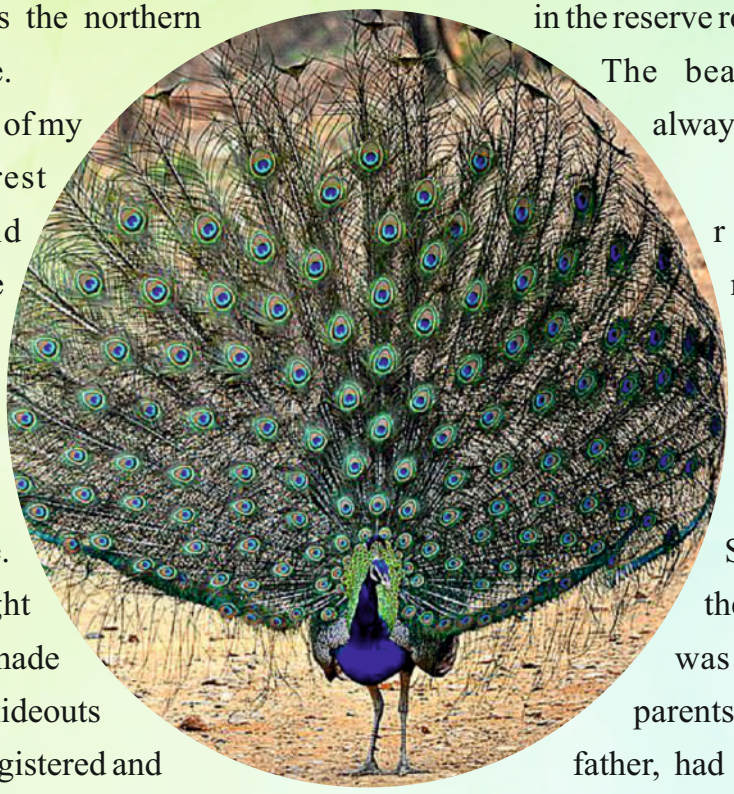

Habitat development works began. Several *anicuts* and earthen ponds were constructed. The number of tigers in the reserve rose from 18 to 23. The beauty of Sariska always allured me.

For the reserve management, Sariska is a non-family station. I had school-going children. So I had to keep them at Alwar. It was the age when parents, especially the father, had a very important role to play in the family. But fragile Sariska did not permit me to spend much time with the family. I am thankful to my better half who played the twin role of mother and father to our teenaged children and let me focus on the problems of the reserve.

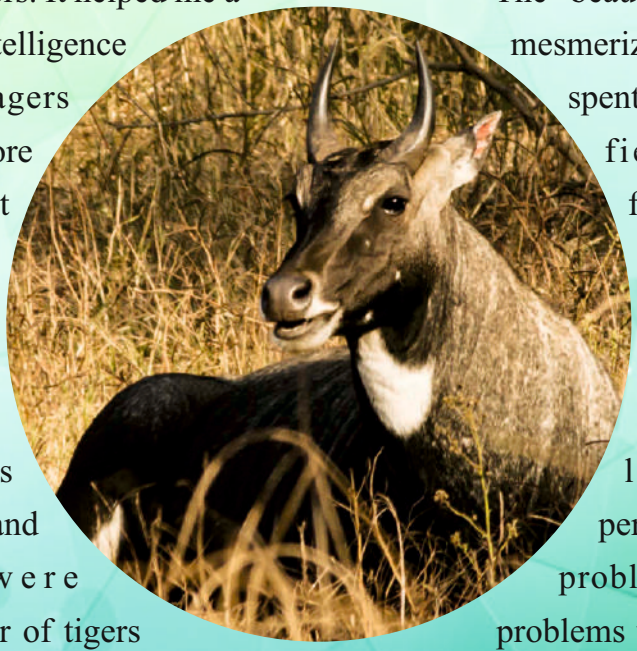

The beauty of Sariska had a mesmerizing effect on me. I spent maximum time in the field and with the frontline staff. I made it a point to halt at the forest guard *chowkies* regularly. This gave me an opportunity to learn about their personal and operational problems. Solving their problems was always on the top

of my mind. This helped me in establishing a good rapport with them and motivating them to put an end to poaching of major species. Motivated staff and good rapport with villagers was my main strength.

In 1996, I left Sariska with great satisfaction. It was on the path to progress. The smooth run continued for many more years. Then, suddenly in 2004, came the shocking news of annihilation of the entire population of tigers in Sariska. It was unbelievable. Nothing could be more shocking to me than this!

No one could ever imagine the black day when Sariska, the pious land of saints like Raja Bhrartrahari, this jewel of the Aravalis, would lose its Kohinoor—the tiger. To me it was unbelievable to imagine Sariska without its crowning glory. What good is a tiger reserve without a single tiger? The management of the tiger reserve seemed to have collapsed completely. There was criminal negligence and gross callousness on the part of the management of the tiger reserve.

The entire tiger population of Sariska was wiped out by the poachers and their skins and other parts were sold to smugglers. This could not have happened in a day. Obviously, the poachers must have operated unrestricted over a long period of time. The total wipe out of the majestic tiger from Sariska sent shock waves world over among the wildlife lovers.

It was an irreparable loss to the tiger conservation movement. For the people of Alwar, it was like Bhopal gas tragedy. During the days when tiger poaching in Sariska was attracting newspaper headlines, Mr. K.L. Saini, a retired forest officer and resident of Alwar, who gave his valuable services to Sariska for many years in various capacities, called me over the phone one day. Sharing this sad news was very difficult for us. While talking to me his voice was choked with emotion. He was so grief stricken that we could not converse any more. I still remember his words: "Sariska is finished."

For a good 5 years as Field Director of Sariska (1991-96) and several years afterwards, I had found the tiger roaring all over Sariska. So, it was very difficult to imagine Sariska without its pride! Of course, gross negligence at the level of the park management was criminally responsible for this debacle. It was responsible for such a 'National Shame'

Investigation reveals that tiger poaching had been going on for some time but instead of catching the poachers the reserve management was busy in hushing up the cases. This encouraged the poachers and resulted in total wipeout of the tiger population from Sariska.

It was also unveiled that the tiger sighting in Sariska had reduced considerably from 2003. By 2004-05 there was hardly any tiger sighting in the Park. In the month of February 2005, the Rajasthan State Government accepted that there were very few tigers left in Sariska Tiger Reserve. However, the fact was that there was none. The Wildlife Institute of India carried out a survey of the entire stretch of 882 sq km in March 2005 and confirmed that indeed there was no evidence of tigers in Sariska Tiger Reserve.

Later the same year in May 2005, Minister of State for Environment & Forests, Mr Namo Narain Meena informed the Parliament of India that Sariska does not have a single tiger left due to extensive poaching. The official confirmation created a major stir in the entire conservation community around the world. The reverberations of this shock were felt at the highest office of the Government of India – the Prime Minister's Office. In the month of March the same year the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, asked the Chief Minister of Rajasthan to look into the matter. State this time really showed keenness to not only fight out the fire but also to rehabilitate tigers back in to Sariska. It was most thrilling and challenging job as it had never been done earlier in any part of world. I had the proud privilege to accomplish this task with flying colours.

Agro-Biodiversity

BG – III Cotton Variety with herbicide

– tolerant traits spells doom for cotton farmers

S.Z. Siddiqi, Liaison Office
NBA, Hyderabad

Even as the unrestricted, ill – advised, ill conceived use of the unauthorized cotton variety inflicts large scale economic catastrophe for cotton farmers across Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, Telangana and few other states, only recently has the Govt. of Telangana taken cognizance of stark reality and raked up the burning issue with National Biodiversity Board (NBB).

Regulatory Bodies Cautioned. The far reaching harmful consequences of the herbicide – tolerant *genetically modified* crop (GM) with herbicide tolerant trait (BG-III), according to the Director, Telangana State Seed and Organic Certification Agency, (TSSCA), Hyderabad, has potential of rampant, uncontrolled spread and its transformation into a *super weed* on alarming rate / scale. Further, the variety could be a potent threat to normal growth and yield of other crops in future, beside posing agricultural health hazard. The 33 reported suspected deaths of cotton farmers from intensive spray of insecticides on the cotton crop for prevention of virulent attack of pink ball worm in Yavatmal, Maharashtra has raised alarming bells. The variety, developed by the U.S based multinational seed giant, Monsanto, with additional herbicide tolerant gene (HT), commercialized as Round – up Ready FIX (RPF) in U.S.A., with an eye on global agriculture, is feared to have leaked into India, by smaller unbranded seed companies, *via* China, for the promised high yield and short – term gains. The poor, less ecologically conscious farming community was hoodwinked into its

cultivation with false assurance of comparatively higher yield than the Ball Guard – II (BG – II) variety. Surprisingly enough, the unauthorized variety, first introduced in 2000, has been in cultivation in Gujarat and Maharashtra, (3-4 years) in point of fact, to the extent of about 20% in the entire country, with no regulatory approval. It is high time the concerned regulatory authorities - the National Biodiversity Authority (NBA) and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF&CC), New Delhi, swings into action for its total discouragement and regulation, indeed enforcing a strict 'ban' on the so called 'no bodies baby' (variety) from its ill advised, unauthorized, rampant use in the country.

Earlier, Monsanto, USA, in tandem with its Indian subsidiary - Maharashtra Hybrid Seeds Company Limited (Mahyco), Mumbai had made an attempt , in vain, for permission for release / marketing of the new variety (BG-III) to the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), Govt. of India, and the proposal rightly turned down, following large scale country wide agitations against the genetically modified (GM) crops. It is surmised that Mahyco surreptitiously conducted field trials of several Bt. Cotton hybrids / varieties having RRT genetic traits. Ironically enough, the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), is known to be aware of its illegal use by the farmers and directed the Central Institute of Cotton Research (CICR), Nagpur, to undertake investigations and test cotton crops for presence of the third gene, a herbicide tolerant gene (HT) in BG-III in field crops in farms. Even as undertaking the exercise on such a large scale seems unfeasible, the Director, CICR, Nagpur has alternately offered to train state agricultural scientist to conduct test in their state labs offering 'primers' for conducting DNA Analyses kit.

NASAI warns Monsanto. On a positive note, the intervention by the National Seed Association of India (NSAI), faulting the seed multinational behemoth Monsanto and its

assertion to own up responsibility for bollworm resistance in Bollgard – II epidemic, failing which, the association will stop selling the BG –II technology seeds, primarily responsible for pink bollworm menace. bodes well. Despite categorical warnings of larger scale incidence of confirmed resistance, by the

CICR, Nagpur the company blatantly promoted use of hybrids with dual gene traits (Bollgard – II). Further, it has urged the firms – Mahyco Monsanto to duly compensate the farmers. Not surprisingly the firm denies the allegations and put forth non compliance to recommendation on Insect Resistance Management (IRM) practices as causative factors for development of resistance, in total disregard to its prescribed guidelines by the cotton farmers.

Intervention by the Government. Fortunately, the governments, albeit a late action though, has responded by booking a case under the Environment (Protection) Act,1986 against the seed behemoth, Monsanto. Coincidentally, of late, the Government of Maharashtra is also contemplating a policy for stopping scale of non standard and non – recommended pesticides in state, after reported multiple deaths for farmers in state from suspected pesticide poisoning. The New policy under formulation for state wide implementation will ensure sale of only pesticides registered with Central Insecticides Board and Registered Committee (CIBRC) and also with the Government of Maharashtra, and ensured regulation and thus recurrence episodes of death from extensive spray of harmful, unsafe pesticides.

Adapted after G. Chandrasekhar, The Hindu, Hyderabad 01 Dec 2017 and K.V. Kurmanath, *Business Line*, Hyderabad 20 Dec. 2017 / 05 & 10 Jan. 2018.

Uttar Pradesh : Domestic Animal Diversity

Jamunapari Goat

Uttar Pradesh State Biodiversity Board, Gomti Nagar Lucknow

These goats their pure farm are found Chakarnagar block across river Yamuna in the Etawah district of Uttar Pradesh. Chakarnagar is about 40 kms. From district head quarters. Major rivers of the district include the Yamuna, Chambal, kuwari, Sengar and Sirsa. Over 50% of the land in this district is usar (wasteland). In Chakarnagar block th soil is sandy mixed with gravel and locally called as pakar. Ravines predominate the area and these goats mostly graze in the ravines on: Prospis juliflora (Vilayath babool), Ziziphus jujube, Acacia nilotica (Desi babool), Prosopis spicigera, Balanites aegyptiaca (Hingota), Prospis cineraria (Khejari), Azadirachta indica (Neem) and Ziziphus mauritiana (Ber).

Jamunapari is one of the most productive goats with a 250-375 litre milk yield in a lactation period of 160 to 200 days. At 12 months of age they weigh about 35-45 kg. An adult goat weight between 65-80 kg. It is a fast growing breed with 80-110 weight gain per day during 0-3 months and 70-100 gm weight gain from 3-12 months of age under semi-intensive feeding. These goats also known as “queen of goats” due to its majestic look. Locally these goats are called Chakarnagar- pari and “Chambal queen” due to their majestic look.

Breed Characteristics

Body : Jamunapari goats are of large size, well built with long barrel, wide depth and long legs. The neck is long, thick and well set in to shoulders. The coat color is predominantly white with occasional brown patches on the ears, neck and head. The body is long with a tuft of hair on the backside of the thighs. These thick hairs on hind legs protect the teats and udder from the sharp thorns of bushes when the goats stand up on their hind legs for browsing. Goats with tuft of long hairs at the hind quarters are preferred by the farmers.

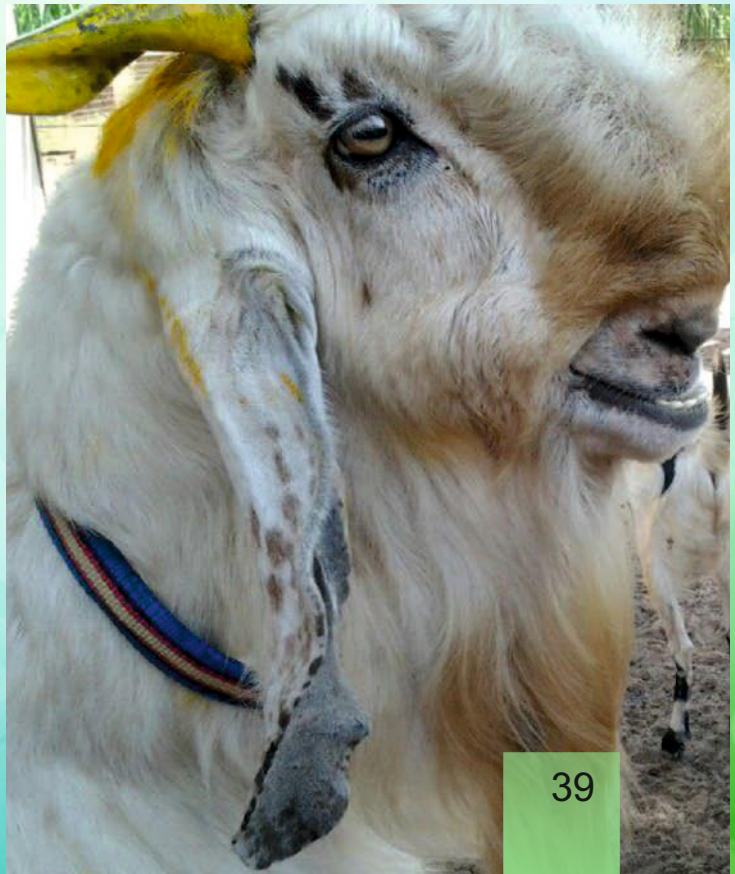

ead : The characteristic feature of Jamunapari goats are convex (roman) nose with longer lower jaw than upper jaw giving a parrot face appearance. Longer lower jaws of these goats make them suitable for efficient browsing as it holds the leaves without injuring the face. The forehead of these goats is broad with shining eyes.

Ears : Ears are very long (27-32 cm.) folded and pendulous. Long ears protect the eyes of these goats from the thorns of shrubs during browsing.

Udder : The udder is well developed, wedge shape large, round with long and conical teats. The tail is short and curves upwards.

Horns : Horns are long, move upward and backward measuring 16-25 cm. present in both sex.

Milk production

About 15-20% goats produced 250-350 liters of milk in a lactation period of 150 to 250 days. These goats are cared well and are capable of fulfilling milk requirement of an entire family at a much cheaper cost than a cow or buffalo.

Production and Reproductive Performance of Jamunapari goats

Trait	Mean	Range
Age of sexual maturity of male (months)	18	14-20
Age of sexual maturity of female (months)	14	12-18
Gestation Period (days)	147.6±0.1	146-148
Total Milk Yield (Litre)	185	140-375
Lactation period (days)	170	130-280
Milk Yield/day (Lit)	1.5.6±0.03	1.0-4.0
Longevity	9 years	7-12 years

Jamunapari goat has been mostly used an improver by the farmers and at institutions crossbreeding/ grading up to increase genetic potential for body weight and milk-yield of non- descript and small/medium size breeds. Jamunapari goats have also performed better in arid, semi- arid and its temperate regions. The Central Institute for Research on Goats (CIRG) estimates the population of these goats to be 6000-7000.

The goat is endangered. It has a small habitat. Causes of endangerment include loss of vegetation in habitat, lack of farmers involvement in development programmes, poor database, the less availability of buck, their excessive and extensive use for a long period (4-5 years) and selection of new males from their own flock are serious factors narrowing the genetic variability of this breed. Due to a long history of anti- social elements in all development programmes including selling of goats and their produce is adversely affected. Positive economic environment is necessary for conservation of this valuable breed.

TIMES OF BIODIVERSITY

A Magazine of Biodiversity & Environment

(ISO14001:2004 Certificate No. 1014ES52, Rg. No. 01/01/01/27346/13

16-A Janki Nagar, Near Suyash Hospital Chunabhatti, Kolar Road, Bhopal (M.P.)
Ph: 0755-2430036, Mobile: 9425029009 Email:dwarika30@yahoo.com, Website:www.globalbiodiversity.in

Global Biodiversity Education Society Bhopal

Subscription Form

I wish to subscribe the Monthly Magazine **"Times of Biodiversity"** of Global Biodiversity Education Society Bhopal. Kindly find the DD/Pay Order/ Cheque/ Cash in the name of Global Biodiversity Education Society, Bhopal payable at Bhopal. India as per the below mention request.

Name :- .....

Job Title :- .....

Organization :- .....

Address :- .....

.....

.....

Pin code :- .....

Email :- .....

Telephone :- **(O)**..... **(R)**.....

Mobile :- .....

Fax :- .....

DD/Pay Order/Cheque No. :-.....**Dt**.....**Amount**.....

Bank Name :- .....

Payable to **Times of Biodiversity** for RTGS **Branch Name State Bank of India, Arera Hills, Bhopal Account No. 36192196700** IFSC Code : **SBIN0030529** and send to the above mention address.

Subscription Rates :-

Signature

Duration	One year	Two Year	Three Years	Life Membership
Student	750/-	1500/-	2000/-	8,000 (15 yrs)
Professional	1000/-	2000/-	3000/-	12,500 (15 yrs)
Institutional	2000/-	4000/-	6000/-	20,000 (15 yrs)

Advertisement, News views, Programs Schemes and other details of institute will be covered in different issues of Magazine.

ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता की झलकियां

25 YEARS
Convention on Biological Diversity
SAFEGUARDING LIFE ON EARTH

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस

22 मई 2018

पृथ्वी पर जीवन सुरक्षा हेतु हम सब मुख्य धारा में शामिल होकर पृथ्वी पर जैवविविधता का संरक्षण सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

एवं

ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, भोपाल

Printed By : Flexy Joseth, **Published by :** D. P. Tiwari on behalf owned by Global Biodiversity Education Society, Bhopal (M. P.) and printed at Maruti Enterprises, 12 Kotwali Road, Bhopal (M. P.) **Email** marutienterprises@rediffmail.com and Published at 16-A, Janki Nagar, Near Suyash Hospital Chunabhatti, Kolar Road Bhopal (M. P.) **Mobile No. 9425029009** Email - dwarika30@yahoo.com. **Editor** D. P. Tiwari